

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 112/2021

1. सत्यवीर पुत्र बुधराम जाति नाई निवासी कणाउ त० भादरा।

:- वादी

ब नाम

1. बुधराम पुत्र किशनाराम जाति नाई निवासी कणाउ त० भादरा।
2. बनारसी पुत्री बुधराम जाति नाई निवासी कणाउ त० भादरा।
3. कान्ता पुत्री बुधराम जाति नाई निवासी कणाउ त० भादरा।
4. सुमन पुत्री बुधराम जाति नाई निवासी कणाउ त० भादरा।
5. राज० सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : वादी

वकील श्री सुरजीत बिजारणिया: प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 19/11/21



संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं० 132/134 के खसरा सं० 16 की 14.543है० खसरा सं० 224 की 5.147है० खसरा सं० 473 की 0.430है० खसरा सं० 482 की 5.704है० खसरा सं० 518 की 10.459है० कुल 36.283है० में प्रतिवादी सं० 1 बुधराम के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा किशनाराम की खातेदारी हुआ करती थी। किशनाराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं० 1 बुधराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी वंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तालव किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। वकील वादी ने प्रतिवादी सं० 5 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

28
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

साक्ष्य वादी में पीडित्वु 1 सत्यवीर पुत्र बुधराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही कणाउ संवत 2072-75 प्रदर्श 1 नामान्तरण दिनांक 20.07.2009 प्रदर्श 2 सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिरसा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही कणाउ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही कणाउ संवत 2072-75 प्रदर्श 1 नामान्तरण दिनांक 20.07.2009 प्रदर्श 2 सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण के अनुसार बुधराम के एक पुत्र सत्यवीर व तीन पुत्रीयां बनारसी, कान्ता व सुमन तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 2 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 4 का जन्म से हक हिरसा निहित है। प्रतिवादी सं 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पत्ति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं 132/134 के खसरा सं 16 की 14.543 है 0 खसरा सं 224 की 5.147 है 0 खसरा सं 473 की 0.430 है 0 खसरा सं 482 की 5.704 है 0 खसरा सं 518 की 10.459 है 0 कुल 36.283 है 0 में प्रतिवादी सं 1 बुधराम के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं 1 बुधराम की बजाय वादी सत्यवीर 4/25 हिस्सा व प्रतिवादी सं 1 बुधराम 1/25 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं 2 ता 4 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/11/19..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



28
सहायक (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 112/2021

1. सत्यवीर पुत्र बुधराम जाति नाई निवासी कणाउ त० भादरा।

:- वादी

ब न अ म


1. बुधराम पुत्र किशनाराम जाति नाई निवासी कणाउ त० भादरा।
2. बनारसी पुत्री बुधराम जाति नाई निवासी कणाउ त० भादरा।
3. कान्ता पुत्री बुधराम जाति नाई निवासी कणाउ त० भादरा।
4. सुमन पुत्री बुधराम जाति नाई निवासी कणाउ त० भादरा।
5. राज० सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरजीत विजारणिया की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं० 132/134 के खसरा सं० 16 की 14.543है० खसरा सं० 224 की 5.147है० खसरा सं० 473 की 0.430है० खसरा सं० 482 की 5.704है० खसरा सं० 518 की 10.459है० कुल 36.283है० में प्रतिवादी सं० 1 बुधराम के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं० 1 बुधराम की बजाय वादी सत्यवीर 4/25 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 बुधराम 1/25 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। चूकि प्रतिवादी सं० 2 ता 4 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/11/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़